ी जागरण

पटना, 7 फरवरी, 2

आनलाइन मिल सकेगा रेरा का आदेश प्रदेश में शुरू हुई डीएमएस की सुविधा

- बिहार रेरा के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन, शुल्क भी किया आधा
- इसके शुरू होने से लोगों को होगी पैसे और समय की बचत

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (बिहार रेरा) में दायर किए गए वादों से संबंधित आदेश और कार्यवाही की सत्यापित प्रति अब आनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बिहार रेरा ने डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) की सुविधा शुरू की है। प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की गयी है। इस सुविधा के शुरू होने से एक तरफ लोगों को सत्यापित प्रतियां आनलाइन उपलब्ध कराकर उनके समय और पैसे की बचत होगी वहीं दूसरी तरफ इससे कागज का प्रयोग भी घटेगा जो पर्यावरण के लिए भी हितकर है। पहले आम लोगों को आदेशों की सत्यापित प्रतियां पाने के लिए रेरा बिहार के कार्यालय आना पड़ता था तथा उन्हें शुल्क भी नकद जमा करना पड़ता था। डीएमएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेरा बिहार की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाकर 'अप्लाई आनलाइन सर्टिफाइड' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पब्लिक लाग-इन पर क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आइडी बनाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आनलाइन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए इस माध्यम से सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने वालों के लिए शुल्क भी आधा कर दिया है। अभी तक लोगों को सत्यापित प्रति के लिए शुल्क के रूप में प्रथम पांच पृष्ठों के लिए 200 रुपये तथा उसके बाद प्रति पृष्ठ 40 रुपये देने पड़ते थे। अगर आवेदक आनलाइन सत्यापित प्रति प्राप्त करते हैं तो उन्हें आधा शुल्क लगेगा।

डीएमएस के साथ आरएमएस की सुविधा भी शुरू

डीएमएस के साथ-साथ, प्राधिकरण ने रिकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) की भी सुविधा शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य रेरा से सम्बंधित सभी अभिलेखों को व्यवस्थित करना है ताकि जरूरत के अनुसार अभिलेखों को रिकार्ड रूम से आसानी से लिया जा सके। अब सभी अभिलेखों पर बार कोड होगा और उन्हें जिस बक्से में रखा जाएगा उसका भी अलग बार कोड होगा। अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिलेखागार में प्रवेश के भी विशेष नियम बनाये गए हैं।